

भारतीय रनालक महान विद्यालय एकरावर जिला खरगोन
C.M.P.

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 31/12/2003

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम विजय सिंह मण्डलोटी वर्तमान धारित पद सहायक प्राध्यापक (इतिहास)
वर्तमान वेतन 3000/- DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख निरक

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया। खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्यौरा	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम टांडा खरग जिला खरगोन	प्लेन भवन	35 वर्ग	अनुमानित 40 लाख रु.	प्लेन पिला	प्लेन	8 लाख	निरक

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

V. Suman

नाम

विजय सिंह मण्डलोटी

पद

सहायक प्राध्यापक

विभाग

उच्च शिक्षा विभाग

शासकीय महाविद्यालय कसरावह, जिला-खरगोन

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 31-12-2009

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम दिलु सिंह चौहान वर्तमान धारित पद सहा. प्राध्यापक
 वर्तमान वेतन 8000+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख निरंक

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया । खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्योरा	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
शा. बेकलवा सह-कुशी जि- धर (म.प्र.)	घर	कृषि भूमि	अनुमानित 4 लाख	पिता पुत्र	विरासत	40 हजार रु	निरंक

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें ।

हस्ताक्षर दिलु सिंह चौहान

नाम दिलु सिंह चौहान
 पद सहा. प्राध्यापक 'विही'
 विभाग उच्च शिक्षा